स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुल सचिव,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

संख्या 3164 स0क0/शिक्षा–अ/3/50/लखनऊ 2017–18 दिनांक 13 सितम्बर 2017

विषय–:अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2017–18 से पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 75 प्रतिशत की अनिवार्य उपस्थिति वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 101/2017/आर–1614 /26–3–2017–4 (358)/07टीसी–3 दिनांक 23–06–2017 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली –2012 (यथा संशोधन– 2016) के नियम–6 उप नियम (xviii) में व्यवस्था की गयी है कि शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे उपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। यही व्यवस्था सामान्य वर्ग के छात्रों पर भी लागू है।

अतः उक्त कम में आपसे अनुरोध है कि आपके विश्वविद्यालय में तथा सम्बद्ध समस्त कालेजों में छात्रों की उपस्थिति की अनिवार्य गणना हेतु बायोमैट्रिक मशीन स्थापित कराते हुये समस्त शिक्षण संस्थाओं को भी बायोमैट्रिक मशीन स्थापित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनोज सिंह)
निदेशक

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0/12657/ विविध आ0–18–2013/2017 दिनांक: 27 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति –मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, इलाहाबाद।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. प्राचार्य/प्रबंधक, समस्त महाविद्यालय, सम्बद्ध–महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि **निदेशक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश** के उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित सूचना से निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को अवगत कराते हुए विश्वविद्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचनार्थ अपलोड कर दें।

28.10.17

कुलसचिव